

मूल वाद में डिकी

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बड़जलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 102 / 2018

1. प्रहलादपुरी पिता भैरुपुरी, निवासी - भोजरास तहसील हुरडा।

-वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07.05.2018 को अदालत के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा भोजरास पटवार हल्का भोजरास तहसील हुरडा कि आराजी न0 1223, 2681 किता 2 रकबा 04 बीघा भूमि में प्रहलादपुरी 1/4, केशपुरी 1/4, मनफूली 1/4, पिता भैरुपुरी, रामलीला पत्नि स्व. भैरुपुरी शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जावें।

यह आज तारीख 07.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वादे के खर्चे

उपरखण्ड अधिकारी
एचं पदेन सहायक कलक्टर



वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना			6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00